

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्थायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल श्रेणी केवल आवासीय प्रोबनार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 58 दिनांक 11/04/2019  
प्राथमिक शर्तों तारा गहलौत की रमेश गहलौत  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 28 खसरा न 775  
घारा 194 (7) के तहत आवासीय ग्राम जोधपुर, शीभावती  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14161/- जमा है  
जरिये रसीद संख्या 1005/9725/9726  
दिनांक 11/04/2019 को जमा करा दी है।

प्रारूपकार  
नगर निगम, जोधपुर

जी+1  
आवासीय

15/5/19

9351388856